कायोलय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/वो–2/2021 दिनांक 25.09.2021 द्वारा गायत्री यादव, प्रधानाचार्य, शहीद दिलीप सिंह राउमावि खोहर, बहरोड जिला अलवर का स्थानान्तरण राउमावि राजौरगढ, राजगढ जिला अलवर किया गया था जिसके विरूद्ध गायत्री यादव द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 5653/2021 गायत्री यादव, बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए तीन सप्ताह में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25.09.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी गायत्री यादव द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के एकल महिला होने एवं स्थानान्तरित स्थान के दुर्गम होने के आधार पर अपना स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर यथावत पदस्थापित रखे जाने अथवा राउमावि तलवाड़, बहरोड जिला अलवर में प्रधानाचार्य पद पर समायोजित किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के स्थान पर शहीद दिलीप सिंह राउमावि खोहर, बहरोड जिला अलवर में अन्य प्रधानाचार्य का पदस्थापन हो जाने के कारण स्थानान्तरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी द्वारा चाहे गये राउमावि तलवाड, बहरोड जिला अलवर में अन्य प्रधानाचार्य का पदस्थापन किया जा चुका है। अपीलार्थी को अलवर जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी अन्य जिले में या दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी राज्य सेवा की राजपत्रित स्तर की अधिकारी हैं और इन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य एवं विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोक सेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। उक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। अपीलार्थी गायत्री यादव को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि राजौरगढ, राजगढ जिला अलवर में प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/गायत्री यादव/5653/2021 **दिनांकः** 05/03/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक अलवर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. गायत्री यादव, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि राजौरगढ, राजगढ जिला अलवर को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Rajasthan Education Department